

उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड जल संस्थान
अधिसूचना

11 अगस्त, 2015 ई०

संख्या 290/2015-शासनादेश सं० 583/उन्तीस(1)/2015/(59 पे०)/2004, दिनांक 16 जुलाई, 2015 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा-25 की उपधारा (2), (6) एवं धारा-59 (1), (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जल संस्थान की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013 के प्रस्तर-11(2) में उत्तराखण्ड जल संस्थान के उपभोक्ताओं द्वारा देयकों का भुगतान विलम्ब से करने पर विलम्ब अवधि के लिए प्राविधानित 08 प्रतिशत विलम्ब शुल्क को पुनरीक्षित करते हुए 1.50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से पुनरीक्षित किया जाता है।

एस० के० गुप्ता,
मुख्य महाप्रबन्धक।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 12-09-2015, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 2 पेयजल/588-07-10-2015-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।